

(191)

1685/C

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Jal Shakti
Department of Water Resources, River & Development
and Ganga Rejuvenation
(GWE Section)
11 FEB 2022
Sl. No. 520/2022/3847

F.No.A-35021/1/2022-GW Estt.
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Water Resources, River & Development
and Ganga Rejuvenation
(GWE Section)

Room No.633,
Shram shakti Bhawan,
Rafi Marg, New Delhi-110001

Subject : Filling up of 01(one) post of Chairman in Level-15 of Pay Matrix (Rs.1,82,200 - 2,24,100 as per 7th CPC) by deputation (including short-term contract) in the Central Ground Water Board, a subordinate organisation under the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation - regarding.

The undersigned is directed to say that it is proposed to fill up 01(one) post of Chairman in Level-15 of Pay Matrix as per 7th CPC by deputation (including short-term contract) in the Central Ground Water Board a subordinate organisation under the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation. The terms and conditions under deputation are as under:-

Deputation (including short-term contract):

11 FEB 2022

Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Autonomous Organizations or Semi Government Organisations or Public Sector Undertakings:

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 18400-22400 (Revised to level 14 of the pay matrix as per 7th CPC) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the following educational qualifications or experience:

(i) Masters Degree in Science or Degree in Engineering from a recognised University or equivalent;

(ii) having twenty years experience in the fields of Survey, Exploration, Development, Regime Monitoring, Research, Training, Minor Irrigation and Management of Ground Water Resources.

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on

Handwritten notes:
Sd/-
11.02.2022
Sd/- (Sec)

Handwritten notes:
SS (Services) II
15/2

Handwritten notes:
15-2
14-2
SO (C/N)

Handwritten signature:
Sd/- 14/2

Handwritten signature:
Mr. Yogendra, SO
15.2.22

deputation (including short term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation (including short term contract) including Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

2. The pay of the officer selected for the above post shall be regulated in terms of the provisions contained in the GOI DOPT O.M. No.2/29/91-Estt. (Pay.II) dated 05.01.1994, as amended from time to time.

3. Duties and Responsibilities for the post:

Chairman is the head of the department who is responsible for the policy planning & implementation and over all administration of the Board.

4. Applications (in duplicate) in the prescribed proforma, through proper channel may reach the Under Secretary (GWE), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, RD & GR, Room No. 633, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001 within 45 days of the date of publication. The soft copies of the applications (scanned in PDF format) may also be forwarded at email address **dirgwe-mowr@nic.in** / **ak.sahoo38@nic.in** followed by the hard copy.

The following documents/certificate(s) from the sponsoring authority must accompany the applications:-

- i. Certificate that the particulars given by the applicant are correct;
- ii. No vigilance/ disciplinary case either pending/contemplated against the applicant;
- iii. In case of selection, officers will be relieved for taking up his new assignment;
- iv. Attested copy of up-to-date CR dossier of the applicant for the preceding 05 years.
- v. Integrity certificate in the prescribed proforma; and
- vi. No penalty statement during the last 10 years

5. It is requested that eligible officers who are willing and can be spared in the event of their selection may be sent along with their Bio-Data (in duplicate) duly signed by them in the attached proforma and with the attested copy of their upto date - Confidential Reports for the preceding five years, Integrity Certificate in the prescribed proforma, Vigilance Clearance and No Penalty Statement during the last 10 years, so as to reach the **'Under Secretary (GW Estt.), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, RD & GR, Room No. 633, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi 110 001'** within 45 days from the date of publication of this circular in the Employment News/Rozgar Samachar Weekly. Incomplete

nomination(s) and those received after the stipulated date or not received in the prescribed proforma will not be entertained.

Asahu

(A. K. Sahoo)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel: 011-23716928

To,

- I. All Ministries/Departments of the Government of India (including NITI Aayog).
- II. Secretaries (Services), All State Governments.
- III. Chairman, Central Water Commission, New Delhi.
- IV. Heads of all Organisations under the Ministry of Water Resources.
- V. Chairman, Central Ground Water Board, NH-IV, Faridabad with a request for uploading in CGWB's website for wider circulation.
- VI. All Wing Heads, MoWR, RD & GR.
- VII. NIC, DoWR, RD & GR with a request to upload on Department's website.

Annexure -I.

BIO-DATA / CURRICULUM VITAE PROFORMA

1.	Name and Address (In block letters)	:	
2.	Date of Birth (in Christian era)	:	
3.	(i) Date of entry into service (ii) Date of retirement under Central / State Government rules	:	
4.	Educational Qualifications	:	
5.	Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the rules, state the		

1682/c

	authority for the same)	
	Qualifications / Experience required as mentioned in the advertisement / vacancy circular	Qualifications / Experience possessed by the officer
	Essential	Essential
	A) Qualification	A) Qualification
	B) Experience	B) Experience
	Desirable	Desirable
	A) Qualification	A) Qualification
	B) Experience	B) Experience
5.1	Note: This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs by the Administrative Ministry/ Department/ Office at the time of issue of circular and issued of advertisement in the Employment News.	
5.2	In the case of Degree and post-graduate qualifications Elective/ main subjects and subsidiary subjects may be indicated by the candidate.	
6.	Please state clearly : whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.	
6.1	Note- Borrowing Departments are to provide their specific comments / views confirming the relevant essential qualification / work experience possessed by the candidate (as indicated in the bio-data) with reference to the post applied.	
7.	Details of Employment in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.	

Office / Institution	Posts held on regular	From	To	* Pay band and grade pay / pay	Nature of Duties(in detail)highlighting

basis	scale of the post held on regular basis	experience required for the post applied for

* Important: Pay band and Grade pay granted under ACP / MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only pay band and grade pay / pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP / MACP with present pay band and grade pay, where such benefits have been drawn by the candidate, may be indicated as below:

Office / Institution	Pay, pay band and grade pay drawn under ACP / MACP scheme	From	to

8.	Nature of present employment i.e Ad hoc or temporary or Quasi-Permanent or Permanent	:	
9.	In case the present employment is held on deputation / contract basis, please state-	:	
	A) The Date of initial appointment	B) Period of appointment on deputation / contract	C) Name of the present office / organization, to which the applicant belongs
			D) Name of post and the held in sub the capaci the organisatio
9.1	Note- In case of the officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded		

1680/1

	by the present cadre / department along with cadre clearance, vigilance clearance and integrity certificate.		
9.2	Note - Information under column 9 (c) and (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre / organization but still maintaining a lien in his parent cadre / organization.		
10.	If any post held on deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details		
11.	Additional details about present employment: Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)- 1) Central Government 2) State Government 3) Autonomous organization 4) Government undertaking 5) University 6) Other		
12.	Please mention whether you are working in the same department and are in a feeder grade or feeder to feeder grade.		
13.	Are you in revised scale of pay? If yes , give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.	:	
14.	Total emoluments per month now drawn		

	Pay in Pay Band	Grade pay	Total Emolu
15.	In case the applicant belongs to an organization which following the Central Government Pay Scales, the latest slip issued by the Organization showing the following may be enclosed.		
	Basic pay with scale of pay and rate of increment	Dearness Pay / Interim Relief / Other Allowance etc. (With break-up details)	Total Emolumen
16. A	<p>Additional information, if any, that relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post. (This among other things may provide information with regard to</p> <p>(i) Additional Academic qualifications (ii) Professional training and (iii) Work experience over and above prescribed in the vacancy circular/ Advertisement)</p> <p>(Note- Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.)</p>		
16. B	<p>Achievements:</p> <p>The Candidates are requested to indicate information with regard to -</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Research publications and reports and special projects. ii. Award / Scholarship / Official Appreciation. iii. Affiliation with professional bodies / Institutions / societies and iv. Patents registered in own name or achieved for the organization. v. Any research / innovative measure involving official recognition vi. Any other information 		

1678/C

	(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient).		
17.	Please state whether you are applying for deputation (ISTC) / Absorption / re-employment basis. (Officers under Central / State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-governmental organizations are eligible for short-term contracts.		
	# (The option of STC / Absorption / re-employment are available only if the vacancy circular specifically mentions recruitment by STC / absorption / re-employment)		
18.	Whether belonging to SC / ST	:	

I have carefully gone through the vacancy circular / advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed / withheld.

Date-----

(Signature of the Candidate)

Address-----

Certification by the employer / cadre controlling authority

The information / details provided in the above application are true as per the facts available on records. He/She possesses educational qualifications and experience mentioned in the advt . If selected, He/she will be relieved immediately.

2. Also certified that-

- i) There is no vigilance or disciplinary case pending / contemplated against Shri / Smt.
- ii) His/Her integrity is certified.
- iii) His / her CR dossier in original is enclosed / photocopies of the ACRs for the last five years duly attested by an officer of rank of the Under Secretary to the Government of India or above enclosed.
- iv) No major/minor penalty has been imposed on him/her during the last 10 years or A list of major / minor penalties imposed on him/her during the last 10 years is enclosed(as the case may be)

Countersigned
(Employer / Cadre controlling authority with Seal)

फाईल सं-ए-35021/1/2022-भूजल स्थापना
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
(भूजल स्थापना अनुभाग)

कमरा सं-633,
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

विषय: जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय भूजल बोर्ड में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-15 में (रु.1,82,200 - 2,24,100 7वें सीपीसी के अनुसार) अध्यक्ष के 01 (एक) पद को भरे जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय भूजल बोर्ड में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-15 में (रु.1,82,200 - 2,24,100 7वें सीपीसी के अनुसार) अध्यक्ष के 01 (एक) पद को भरे जाने का प्रस्ताव है।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वायत्त संगठनों या अर्द्धसरकारी संगठनों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी -

(क) (i). जो मूल काडर या विभाग में सदृश पर धारण किया है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 18400-22400 (संशोधित वेतनमान 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14 में) रुपए या समतुल के वेतनमान में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-

(i) किसी मान्ताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य; या

(ii) जिसके पास भूमिगत जल संसाधन के सर्वेक्षण, खोज, विकास, रेजिम मानिट्रिंग, अनुसंधान, प्रशिक्षण, लघु सिचाई प्रबंध के क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव है।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी और संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिक आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. उपर्युक्त पद के लिए चुने गए आधिकारी का वेतन भारत सरकार डीओपीटी के समय-समय पर संशोधित दिनांक 05.01.1994 के का.जा. सं. 2/29/91-स्था. (पे II) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नियमित किया जाए।

3. पद के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:

अध्यक्ष विभाग का प्रमुख होता है जो नीति नियोजन और कार्यान्वयन और बोर्ड के सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है।

4. आवेदन (दो प्रतिलिपियों में) उचित माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर अवर सचिव (जीडब्ल्यूई), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा सं. 633, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर पहुंच जाना चाहिए। आवेदन की स्कैन की हुई प्रति पीडीएफ प्रारूप में ईमेल आईडी dirgwe-mowr@nic.in / ak.sahoo38@nic.in पर भी भेजी जा सकती है। तत्पश्चात आवेदन की मूल प्रति भी प्रेषित करे। आवेदन के साथ प्रायोजित अधिकारी से निम्न दस्तावेज/प्रमाणपत्र आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।

i. प्रमाणपत्र की आवेदक द्वारा दिया गया विवरण सही है;

ii. आवेदनकर्ता के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामले पर विचार किया जाना/लंबित नहीं है;

iii. चयन के मामले में अधिकारी को उसके नए दायित्वों हेतु कार्यभार मुक्त कर दिया जाएगा;

iv. आवेदनकर्ता के पिछले 5 वर्षों के अद्यतन सीआर डीजियर की प्रमाणित प्रतिलिपि।

v. निर्धारित प्रपत्र में सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र; तथा

vi. पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होने के संबंध में प्रमाणपत्र;

5. अनुरोध है कि ऐसे पात्र अधिकारी जो इच्छुक हैं और जिन्हें चयन के मामले में तत्काल कार्यभार मुक्त किया जा सकता है वे अपने अद्यतन जीवन-वृत्त की प्रमाणित प्रतियों के साथ (दो प्रतिलिपियां) अपने हस्ताक्षर के साथ संलग्न आवेदन प्रपत्र में भरकर - पिछले पांच वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र, सतर्कता अनापत्ति निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर तथा पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई शास्ति नहीं होने के प्रमाण-पत्र के साथ भरकर, इंप्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार साप्ताहिक में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर 'अवर सचिव (जीडब्ल्यूई स्था.) जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा सं. 633, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001' को भिजवा दें। अधूरे नामांकन तथा निर्धारित प्रपत्र में नहीं भरे तथा निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अक्षय कुमार शर्मा
(ए.के. साहू)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

- I. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (नीति आयोग सहित)।
- II. सभी राज्य सरकारों के सचिव (सेवाएं)।
- III. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- IV. जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत सभी संगठनों के प्रमुख।
- V. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, एनएच-IV, फरीदाबाद।
- VI. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी विंग प्रमुख।

अनुलग्नक-1जीवनवृत्त/जीवन परिचय प्रारूप

1.	अधिकारी का नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)	:	
2.	जन्मतिथि (ईसवी सन में)	:	
3.	i. सेवा में पहली नियुक्ति की तारीख ii. केन्द्र/राज्य सरकार के नियम के अंतर्गत सेवानियुक्ति की तारीख	:	
4.	शैक्षणिक अर्हताएं	:	
5.	क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं। (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)	:	
	विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में यथा उल्लिखित अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव		अधिकारी द्वारा धारित योग्यताएं/अनुभव
	अनिवार्य		अनिवार्य
	क) योग्यता		क) योग्यता
	ख) अनुभव		ख) अनुभव
	वांछनीय		वांछनीय
	क) योग्यता		क) योग्यता

	ख) अनुभव	ख) अनुभव
5.1	टिप्पणी- परिपत्र जारी होने के समय और रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने के समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियम (आरआर) में यथा उल्लिखित अनिवार्य और वांछनीय योग्यताओं को दर्शाने के लिए इस कॉलम को विस्तारपूर्वक भरा जाना आवश्यक है।	
5.2	डिग्री और स्नातकोत्तर योग्यताओं के मामलों में अभ्यर्थियों द्वारा वैकल्पिक/मुख्य विषयों तथा पूरक विषयों को सूचित किया जाए	
6.	कृपया आप स्वयं द्वारा की गई : प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षा पूरी करते हैं	
6.1	टिप्पणी- सेवाएं लेने वाले विभागों को आवेदित पद के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा धारित संबंधित अनिवार्य योग्यता/कार्य अनुभव (जीवनवृत्त में यथा सूचित) की पुष्टि करते हुए अपनी विशेष टिप्पणी/मत देना होता है।	
7.	कालक्रमानुसार सेवा का ब्योरा । यदि यहां दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अपने हस्ताक्षर से यथा प्रमाणित अलग से एक शीट संलग्न करें	

कार्यालय/संस्था	नियमित आधार पर धारित पद	निम्न तारीख से	निम्न तारीख तक	* नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमानके लिए आवेदित पद हेतु अपेक्षित अनुभव पर प्रकाश डालते हुए कार्य की प्रकृति (विस्तार से)

* महत्वपूर्ण: एसीपी/एमएससीपी के तहत प्रदान की गई वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अधिकारी का व्यक्तिगत होता है और इसलिए उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। मात्र नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान का उल्लेख किया जाए। वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन सहित एसीपी/एमएससीपी का विवरण, जहां अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार का लाभ लिया गया है, को निम्नानुसार दर्शाया जाए-

कार्यालय/संस्थान	एसीपी/एमएससीपी स्कीम के तहत लिया गया वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	से	तक

8.	वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात्	:	
----	------------------------------------	---	--

	तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा स्थाई	
9.	वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में कृपया उल्लेख करें	:
	क) प्रारंभिक नियुक्ति तारीख	ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर जहां से आवेदक की नियुक्ति की संबंधित अवधि
	ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम, क्षमता में धारित पद का नाम और वेतन	
9.1	टिप्पणी- अधिकारी के पहले ही प्रतिनियुक्ति पर होने के मामले में ऐसे अधिकारियों के आवेदनों को संवर्ग स्वीकृति, सतर्कता स्वीकृति और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र सहित मूल संवर्ग/विभाग द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए।	
9.2	टिप्पणी- उपर्युक्त कॉलम 9 (ग) और (घ) के तहत सूचना को सभी मामलों में दिया जाना आवश्यक है जहां वह व्यक्ति संवर्ग/संगठन से बाहर प्रतिनियुक्ति पर एक पद का धारण किए हुए हैं लेकिन अब भी अपने मूल संवर्ग/संगठन में धारणाधिकार (लियन) बनाए हुए हैं।	
10.	यदि आवेदक द्वारा अतीत में प्रतिनियुक्ति पर किसी पद का धारण किया गया है तो अंतिम प्रतिनियुक्ति से वापिस आने की तिथि और अन्य विवरण	
11.	वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण :	

16th/C

कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं- 7. केन्द्र सरकार 8. राज्य सरकार 9. स्वायत्त संगठन 10. सरकारी उपक्रम 11. विश्वविद्यालय 12. अन्य		
12.	कृपया उल्लेख करें क्या आप उसी विभाग कार्यरत हैं और क्या फीडर ग्रेड अथवा फीडर से फीडर ग्रेड में कार्यरत हैं।	
13.	क्या आप संशोधित वेतनमान ले रहे हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें	
14.	वर्तमान में प्रति माह आहरित कुल परिलब्धियां	
	वेतन बैंड में मूल ग्रेड वेतन वेतन	कुल परिलब्धियां
15.	ऐसे मामले में जहां आवेदक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जिसमें केन्द्र सरकार के वेतनमान का पालन नहीं किया जाता है, निम्नलिखित विवरण को दर्शाते हुए संगठन द्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्ची संलग्न किया जाए।	
	वेतनमान और वेतन वृद्धि की दर सहित मूल वेतन	मंहगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ता आदि (विस्तृत विवरण सहित) कुल परिलब्धियां
16. क)	अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी	

	<p>उपयुक्तता के समर्थन में उल्लिखित करना चाहते हों।</p> <p>(इसमें (i) अतिरिक्त अकादमिक योग्यताएं (ii) पेशेवर प्रशिक्षण और (iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित अनुभव से अधिक अथवा ऊपर अनुभव से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जाए)</p> <p>(टिप्पणी- अतिरिक्त शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो।)</p>	
16. ख)	<p>उपलब्धियां-</p> <p>अभ्यर्थियों को निम्नलिखित से संबंधित सूचना देने का अनुरोध किया जाता है-</p> <ul style="list-style-type: none"> i. शोध प्रकाशन और रिपोर्टें तथा विशेष परियोजनाएं ii. पुरस्कार/छात्रवृत्ति/विभागीय प्रशंसा iii. पेशेवर निकायों/संस्थानों/सोसाइटियों के साथ एफिलीएशन और iv. अपने नाम पर अथवा संगठन के लिए प्राप्त पंजीकृत पेटेंट v. सरकारी मान्यता सहित कोई शोध/नवाचार उपाय vi. कोई अन्य सूचना <p>टिप्पणी: यदि यहां दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न करें।</p>	

1669/C

17.	कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/सम्मेलन/पुनः रोजगार आधार पर आवेदन कर रहे हैं। (केन्द्र/राज्य सरकारों के अधिकारी ही "सम्मेलन" के पात्र हैं। गैर-सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल अल्पवधि संविदा के लिए पात्र हैं।		
	# (एसटीसी/सम्मेलन/पुनःनियुक्ति का विकल्प मात्र तभी उपलब्ध होता है यदि रिक्ति परिपत्र में खासतौर पर एसटीसी/आमेलन/पुनःनियुक्ति द्वारा भर्ती का उल्लेख किया जाता है)		
18.	क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।	:	

मैंने ध्यानपूर्वक रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को पढ़ा है और मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य योग्यता/कार्य अनुभव के संबंध में दी गई दस्तावेजों सहित जीवनवृत्त में प्रस्तुत सूचना का आकलन पद के लिए चयन के समय चयन समिति द्वारा भी किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचना/विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मेरे चयन के संबंध में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी वास्तविक तथ्य को छुपाया/रोका नहीं गया है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक :

पता-----

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण

आवेदक द्वारा उपर्युक्त आवेदन में उपलब्ध कराई गई सूचना/विवरण रिकॉर्डों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य एवं सही हैं। वह रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव का धारण करते/करती हैं। यदि चयन होता है तो उन्हें तत्काल कार्य मुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि-

- i. श्री/श्रीमती..... के विरुद्ध कोई भी सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक मामला लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- ii. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।
- iii. उनका/उनकी सीआर डोजीयर मूल रूप में संलग्न किया है/भारत सरकार के अवर सचिव के रैंक अथवा इससे ऊपर के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित विगत पांच वर्षों की एसीआर की प्रतिलिपियां संलग्न की जाती हैं।
- iv. विगत 10 वर्षों के दौरान उनके ऊपर कोई बृहद/लघु शास्ति नहीं लगाया है अथवा विगत 10 वर्षों के दौरान उनके ऊपर लगाए गए बृहद/लघु दंडों की सूची संलग्न की जाती है। (जैसा भी मामला हो)

प्रतिहस्ताक्षर

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की मोहर सहित)